13/5/14 पत्रावली पेश हुई बहुलाय फरीकेन हाजिर।
उभयपक्षीय अधिवक्ताओं ने सुलहनामे
के निस्तारण तक उभयपक्ष को पाबंद
करने हेतु निवेदन किया। अतः उभयपक्षीय
अधिवक्तागण के निवेदन पर उभयपक्ष
को इस आशय से पाबंद किया
जाता है कि सुलहनामा दावे के निस्तारण
तक विवाद की यथास्थिति बनाये
रखें। पत्रावली फैसला शुमार होकर
लम्बित से कम होकर सुलहनामा के
संलग्न हो।